Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

DIPP Point No. 6

Question	Remarks
1.Access to Information and Transparency Enablers **Q:** Implement a system whereby business entities are issued a single ID for all State taxes (VAT and CST, and PT, Entertainment Tax, Entry Tax and Luxury Tax where applicable)	Single id is issued for all state taxes (VAT, CST, Professional, Entertainment and Luxury Tax). Entry Tax is not applicable in Jharkhand. Initially, all taxes, except Professional Tax (PT) had a single id, but recently, even PT has been included (with VAT, PT is deemed registration) Circular no 2499 dated 13/08/12 Notification no 4759 dated 11/12/15

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

महत्वपूर्ण सूचना

सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित ***झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2014, झारखण्ड होटल विलास वस्तु कर (संशोधन) नियमावली, 2014, झारखण्ड मनोरंजन कर (संशोधन) नियमावली, 2014, झारखण्ड विज्ञापन कर (संशोधन) नियमावली, 2014 एवं झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2014*** के अधीन निबंधन आवेदन–पत्र समर्पण हेतु **Jharkhand Common Registration Form (JCRF)** निबंधन प्रमाण पत्र के संशोधन हेतु **Jharkhand Common Amendment Form (JCAF)** एवं रद्दीकरण हेतु **Jharkhand Common Cancellation Form (JCCF)** का प्रावधान दिया गया है।

अतः **दिनांक 15.01.2015** से उपरोक्त वर्णित सभी नियमावली में निबंधन /संशोधन/रद्दीकरण हेतु क्रमशः **Jharkhand Common Registration Form (JCRF), Jharkhand Common Amendment Form (JCAF)** तथा **Jharkhand Common Cancellation Form (JCCF)** के विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन देना आवश्यक है।

- संबंधित निबंधन हेतु इच्छुक व्यवसायियों को **URL eserva.jharkhandcomtax.gov.in** पर **Login** कर नये आवेदन प्रपत्र **JCRF** में आवेदन समर्पित करना होगा। नये आवेदकों को सर्वप्रथम विभागीय नये पोर्टल पर अपने पूरे नाम, **ईमेल तथा व्यक्तिगत मोबाईल संख्या** देते हुए **'Sign up'** करना होगा। नये आवेदन प्रपत्र **JCRF** द्वारा सामान्य **VAT Registration** के साथ–साथ **Presumptive / Composition, Entertainment Tax, Luxury Tax, Entertainment Tax** तथा **Electricity Duty**. के अधीन निबंधन आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा सुसंगत नियमावली के अधीन निबंधन हेतु एवं प्राप्त निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु पूर्ववत् विभागीय वेबसाईट पर एक अलग **Link** उपलब्ध होगा।
- झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन पूर्व से प्रचलित विहित प्रपत्र में आवेदन देने हेतु विभागीय वेबसाईट पर एक अलग **Link** उपलब्ध होगा।
- पूर्व में निबंधित व्यवसायी (**JVAT, JHLT, JENT, JED** तथा **JAT**) नये पोर्टल पर **'Sign in'** कर **JCAF** तथा **JCCF** में क्रमशः निबंधन प्रमाण–पत्र में संशोधन तथा रद्दीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं।
- **दिनांक 14.01.2015** तक व्यवसायियों द्वारा वैट निबंधन हेतु विहित प्रपत्र **JVAT 101** में दिए गए आवेदन तथा निबंधित वैट व्यवसायियों द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र में संशोधन हेतु विहित प्रपत्र **JVAT 110** में दिए गए आवेदनों को पूर्ववत् निष्पादित किया जाएगा।

Notification mentioning introduction of JCRF for different taxes

Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– सचिका संख्या–वाकर/कम्प्यू/विविध/09/2015–4759(अनु०) रॉची, दिनांक –11/12/15

प्रेषक

निधि खरे
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–74 तथा झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 32, नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के प्रावधानो के अधीन झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर के अधीन निबंधन की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या– 4354 दिनांक 14.11.2012 एवं परिपत्र संख्या– 2499 दिनांक 13.07.2015

1. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 तथा झारखण्ड होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 2011 के अधीन निबंधित व्यवसायियों को, झारखण्ड पेशा कर अधिनियम के प्रख्यापन की तिथि 30 जनवरी, 2012 से 31 अगस्त, 2015 तक की अवधि हेतु विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः पेशा कर के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गत होगा। उक्त निबंधन प्रमाण पत्र (JPT 102) में व्यवसायी को मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अधीन निर्गत 11 अंकों का Taxpayer's Identification Number (TIN) अंकित होगा बशर्ते ऐसे व्यवसायियों का वार्षिक सकल आवर्त 5 लाख से अधिक हो तथा वे झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची I में अंकित कर मुक्त वस्तुओं को व्यवसाय नही करते हों।
2. पेशा कर अधिनियम के साथ संलग्न सूची के क्रमांक–5, 6, 7, 12 एवं 18 में अंकित सभी व्यवसायी यथा– Brokers, Contractors झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अधीन निबंधित व्यवसायी, Residential Hotel, Lodging Houses के मालिक तथा Companies Act, 1956 के अधीन निबंधित सभी कम्पनी इत्यादि उक्त श्रेणी में सम्मिलित होंगे।
3. 31 अगस्त, 2015 के उपरांत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निबंधन लेने वाले व्यवसायियों को साथ–साथ पेशा कर अधिनियम के अधीन भी निबंधन प्रमाण पत्र तथा TIN प्राप्त होंगे।

Deemed registration for PT on registration for VAT (TIN no. of PT same as that of VAT)

Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

SCREENSHOTS SHOWING SAME TIN NUMBER FOR DIFFERENT TAXES

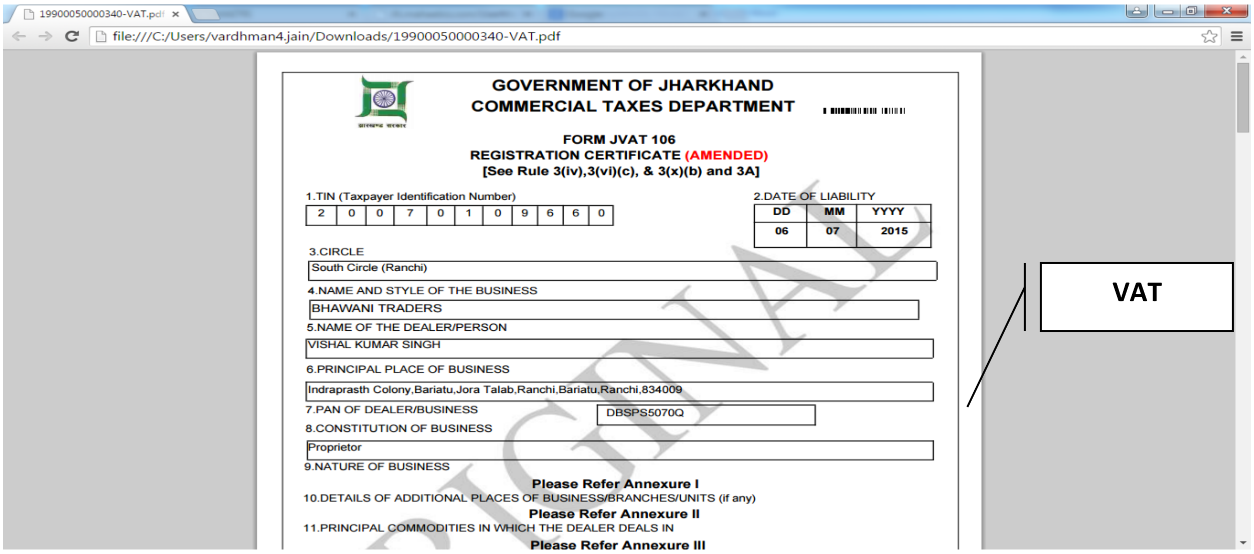

19900050000340-VAT.pdf

file:///C:/Users/vardhman4.jain/Downloads/19900050000340-VAT.pdf

GOVERNMENT OF JHARKHAND
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

FORM JVAT 106
REGISTRATION CERTIFICATE (AMENDED)
[See Rule 3(iv),3(vi)(c), & 3(x)(b) and 3A]

1.TIN (Taxpayer Identification Number)

2	0	0	7	0	1	0	9	6	6	0

2.DATE OF LIABILITY

DD	MM	YYYY
06	07	2015

3.CIRCLE
South Circle (Ranchi)

4.NAME AND STYLE OF THE BUSINESS
BHAWANI TRADERS

5.NAME OF THE DEALER/PERSON
VISHAL KUMAR SINGH

6.PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS
Indraprasth Colony,Bariatu,Jora Talab,Ranchi,Bariatu,Ranchi,834009

7.PAN OF DEALER/BUSINESS DBSPS5070Q

8.CONSTITUTION OF BUSINESS
Proprietor

9.NATURE OF BUSINESS
Please Refer Annexure I

10.DETAILS OF ADDITIONAL PLACES OF BUSINESS/BRANCHES/UNITS (if any)
Please Refer Annexure II

11.PRINCIPAL COMMODITIES IN WHICH THE DEALER DEALS IN
Please Refer Annexure III

VAT

19900050000351-CST.pdf

file:///C:/Users/vardhman4.jain/Downloads/19900050000351-CST.pdf

GOVERNMENT OF JHARKHAND
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

FORM B
CERTIFICATE OF REGISTRATION
[See rule 5(1)]
TIN: 20070109660 FIRM NAME: BHAWANI TRADERS

TIN: 20070109660

CIRCLE: South Circle (Ranchi)

This is to certify that M/s **BHAWANI TRADERS**, whose principal place of business in Jharkhand is situated at Flat/Floor/Door/Block No -BARIATU, Road Street / Lane -INDRAPRASTH COLONY, Village/Town/City -JORA TALAB, District -RANCHI, City -RANCHI, Post Office -BARIATU, State -JHARKHAND, Pin Code -834009 has been registered as a dealer under section 7(1)/7(2) of the Central Sales Tax Act,1956.

The business is:

Wholly:

Mainly: Manufacturing

Partly:

Please Refer Annexure I

1[The class(es) of goods specified for the purposes of sub-sections (1) and (3) of section 8 of the said Act is/are as follows and the sales of these good~ in the course of inter-State trade to the dealer will be taxable at the rate specified in that sub-section subject to the provisions of sub-section (4) of the said section:-

Please Refer Annexure II

(A) Class(es) of goods allowed :

The dealer manufactures, processes, or extracts in mining the following classes of goods or generates or distributes the following form of power, namely:

Please Refer Annexure III

The dealer's year for the purpose of accounts runs from: **1st day of April to 31st day of March.**

The dealer has additional place(s) of business as stated below :

(a)In the State of Registration : Not Applicable

Additional Places (VAT) in Jharkhand

CST

Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

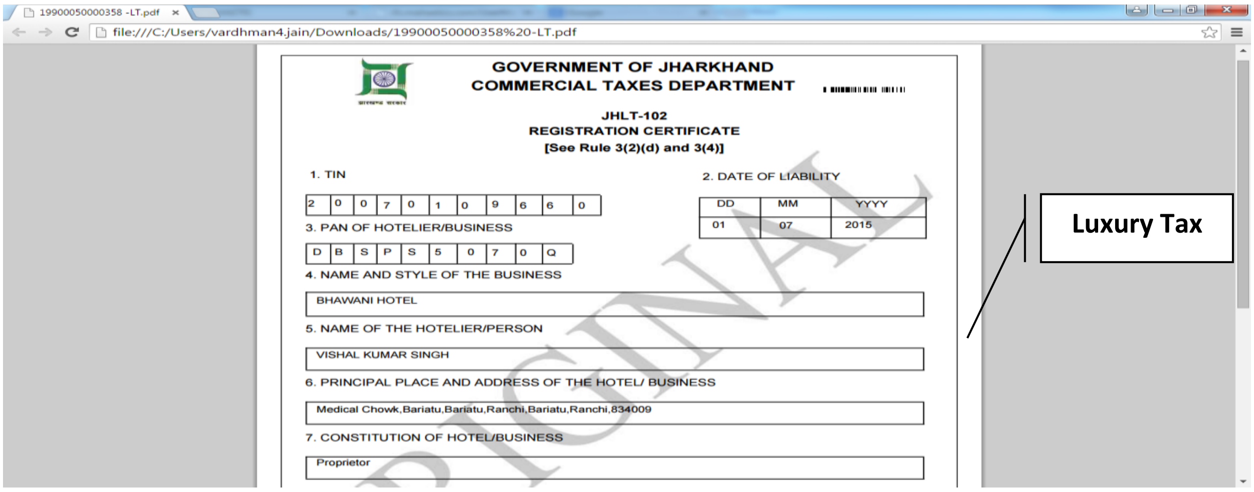

19900050000358 -LT.pdf

file:///C:/Users/vardhman4.jain/Downloads/19900050000358%20-LT.pdf

GOVERNMENT OF JHARKHAND
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

JHLT-102
REGISTRATION CERTIFICATE
[See Rule 3(2)(d) and 3(4)]

1. TIN

2	0	0	7	0	1	0	9	6	6	0

2. DATE OF LIABILITY

DD	MM	YYYY
01	07	2015

3. PAN OF HOTELIER/BUSINESS

D	B	S	P	S	5	0	7	0	Q

4. NAME AND STYLE OF THE BUSINESS

BHAWANI HOTEL

5. NAME OF THE HOTELIER/PERSON

VISHAL KUMAR SINGH

6. PRINCIPAL PLACE AND ADDRESS OF THE HOTEL/ BUSINESS

Medical Chowk,Bariatu,Bariatu,Ranchi,Bariatu,Ranchi,834009

7. CONSTITUTION OF HOTEL/BUSINESS

Proprietor

ORIGINAL

Luxury Tax

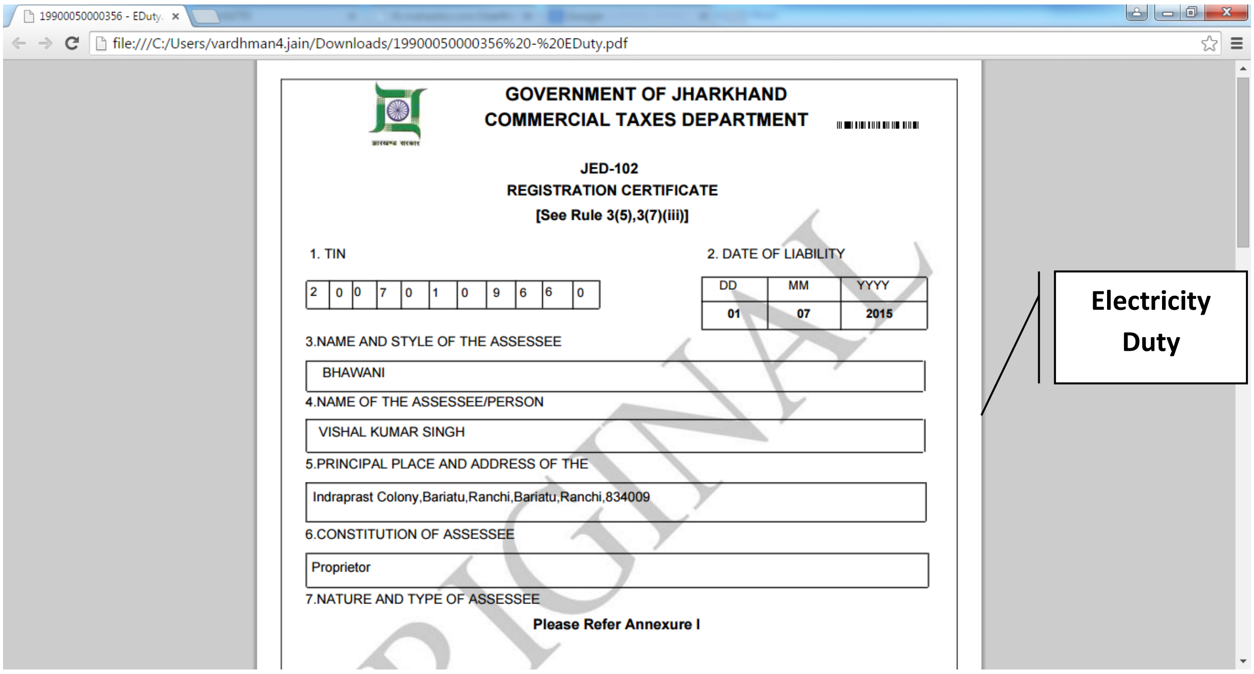

19900050000356 - EDuty

file:///C:/Users/vardhman4.jain/Downloads/19900050000356%20-%20EDuty.pdf

GOVERNMENT OF JHARKHAND
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

JED-102
REGISTRATION CERTIFICATE
[See Rule 3(5),3(7)(iii)]

1. TIN

2	0	0	7	0	1	0	9	6	6	0

2. DATE OF LIABILITY

DD	MM	YYYY
01	07	2015

3.NAME AND STYLE OF THE ASSESSEE

BHAWANI

4.NAME OF THE ASSESSEE/PERSON

VISHAL KUMAR SINGH

5.PRINCIPAL PLACE AND ADDRESS OF THE

Indraprast Colony,Bariatu,Ranchi,Bariatu,Ranchi,834009

6.CONSTITUTION OF ASSESSEE

Proprietor

7.NATURE AND TYPE OF ASSESSEE

Please Refer Annexure I

ORIGINAL

Electricity Duty

Department of Commercial Tax
Government of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

A A A | Bookmark | Login History | Logout

Welcome Monu Singh (MONU8002744311@GMAIL.COM) TIN : 20070109660 User Type: Dealer

Welcome

- Mandatory Details
- View Profile
- Logout

Taxpayer Profile

Basic Details	
TIN	20070109660
Name	Monu Singh
Login Id/E-Mail ID	MONU8002744311@GMAIL.COM
User Type	Dealer

Same TIN for different taxes

Tax Type	Firm Name	Mobile Number	Registration Status	Registration Effective Date	Liability Date	PAN
ADVERTISEMENT TAX	BHAWANI TRADERS	8002744311	Registered	01/07/2015	01/07/2015	DBSPS5070Q
CENTRAL SALES TAX	BHAWANI TRADERS	8002744311	Registered	07/07/2015	07/07/2015	DBSPS5070Q
ELECTRICITY DUTY	BHAWANI TRADERS	8002744311	Registered	01/07/2015	01/07/2015	DBSPS5070Q
ENTERTAINMENT TAX	VISHAL TALKIES	9334401238	Registered	01/07/2015	01/07/2015	DBSPS5070Q
LUXURY TAX	BHAWANI HOTEL	8002744311	Registered	01/07/2015	01/07/2015	DBSPS5070Q
TAX DEDUCTION NUMBER	BHAWANI TRADERS	8002744311	Registered	06/07/2015	01/06/2015	DBSPS5070Q
VALUE ADDED TAX	BHAWANI TRADERS	8002744311	Registered	06/07/2015	06/07/2015	DBSPS5070Q

Dealer Profile

Page 1 | Page 2

Division	Ranchi	Circle	Special Circle (Ranchi)	TIN	20600410212
Period From		Period To			
PAN	AAGCC1585R	Constitution Of Business	Public Limited Company		

Same TIN for VAT, PT, CST

Dealer Registered In

Sr. No.	Tax Type	TIN	Firm Name	RC Effective Date	Status	Date of Liability
1	CST	20600410212	CIPLA HEALTH LIMITED	01/02/2016	Registered	01/02/2016
2	VAT	20600410212	CIPLA HEALTH LIMITED	01/02/2016	Registered	01/02/2016
3	PT	20600410212	CIPLA HEALTH LIMITED	01/02/2016	Registered	01/02/2016

⊟ Registration Details

PT

Name Of Dealer	CIPLA HEALTH LIMITED

Principle Place Of Business

Number	21 Modi Compound	Street Name	Ratu Road Opp A I R
Area	Ranchi	District	
City	Ranchi	State	Jharkhand
Pin code	834001	Landline	NA
Mobile	9835115891	E-mail id	Snehashis.sarkar@cipla.com

Nature Of Activity	NA
Goods Description	NA

CST

Name Of Dealer	SNEHASHIS SARKAR

Principle Place Of Business

Number	21 Modi Compound	Street Name	Ratu Road Opp A I R
Area	Ranchi	District	Ranchi
City	Ranchi	State	Jharkhand
Pin code	834001	Landline	NA
Mobile	9835115891	E-mail id	Snehashis.sarkar@cipla.com

SUPPORTING DOCUMENT

Sr. 4.

सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 562 — 30 Aashwin, 1936 (S)

Ranchi, Wednesday 22nd October, 2014

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 22nd October, 2014

S. O. No.-57 dated 22nd October, 2014- In exercise of the powers conferred by Section 94 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006), the Governor of Jharkhand is pleased to make the following Amendments in Departmental Notification No. S.O. 219 dated 31st March, 2006.

<u>Amendments</u>

1. **Amendment in Rule 2 –**

(i) Amendment in Rule 2 (xvi)

Definition of **Tax Period** shall be substituted as follows:-

"**Tax Period** means, a Period of time, usually for the purpose of Section 29, 30, 31, 32, 33 *and 58* shall be a *quarter* and part

valid where such prescribed form is obtained or such prescribed form is furnished on or after such day of coming into effect of these Rules;

25. New Forms JCRF, JCAF, JCCF, JVAT 125, JVAT 126 and JVAT 215 are added. Forms are appended to this amendment notification.

26. Existing Forms JVAT 111, JVAT 112, JVAT 117, JVAT 119, JVAT 122, JVAT 200, JVAT 202, JVAT 204, JVAT 206, JVAT 207, JVAT 208, JVAT 209, JVAT 211, JVAT 212 , JVAT 302, JVAT 306 and JVAT 508 are substituted. Forms are appended to this amendment notification.

27. Deleted Forn JVAT 213 is restored with minor changes.

28. Amendment in Form, JVAT 120, JVAT 205, JVAT 400 and JVAT 407 Forms are appended to this amendment notification.

29. Existing Form JVAT 101, JVAT 102, JVAT 103, JVAT 105, JVAT 107, JVAT 110, JVAT 113 and Form JVAT 214 are deleted.

30. This amendment except the amendment in Rule 23 (2) (c) shall be effective from the date of notification. Amendment in Rule 23 (2) (c) shall be effective form 01.04.2015.

(File No *Ba Kar. Compu./15/2014/1199)*
By the Order of the Governor of Jharkhand,
M.R. Meena,
Secretary cum Commissioner,
Commercial Taxes Department, Jharkhand, Ranchi.

Sr. 4

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

महत्वपूर्ण सूचना

सभी निबंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित ***झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2014, झारखण्ड होटल विलास वस्तु कर (संशोधन) नियमावली, 2014, झारखण्ड मनोरंजन कर (संशोधन) नियमावली, 2014, झारखण्ड विज्ञापन कर (संशोधन) नियमावली, 2014 एवं झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2014*** के अधीन निबंधन आवेदन–पत्र सर्मपण हेतु **Jharkhand Common Registration Form (JCRF)** निबंधन प्रमाण पत्र के संशोधन हेतु **Jharkhand Common Amendment Form (JCAF)** एवं रद्दीकरण हेतु **Jharkhand Common Cancellation Form (JCCF)** का प्रावधान दिया गया है।

अतः **दिनांक 15.01.2015** से उपरोक्त वर्णित सभी नियमावली में निबंधन /संशोधन/रद्दीकरण हेतु क्रमशः **Jharkhand Common Registration Form (JCRF), Jharkhand Common Amendment Form (JCAF)** तथा **Jharkhand Common Cancellation Form (JCCF)** के विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन देना आवश्यक है।

- संबंधित निबंधन हेतु इच्छुक व्यवसायियों को **URL eserva.jharkhandcomtax.gov.in** पर **Login** कर नये आवेदन प्रपत्र **JCRF** में आवेदन समर्पित करना होगा। नये आवेदकों को सर्वप्रथम विभागीय नये पोर्टल पर अपने पूरे **नाम, ईमेल तथा व्यक्तिगत मोबाईल संख्या** देते हुए **'Sign up'** करना होगा। नये आवेदन प्रपत्र **JCRF** द्वारा सामान्य **VAT Registration** के साथ–साथ **Presumptive / Composition, Entertainment Tax, Luxury Tax, Entertainment Tax** तथा **Electricity Duty**. के अधीन निबंधन आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।
- केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम, 1956 तथा सुसंगत नियमावली के अधीन निबंधन हेतु एवं प्राप्त निबंधन प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु पूर्ववत् विभागीय वेबसाईट पर एक अलग **Link** उपलब्ध होगा।
- झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन पूर्व से प्रचलित विहित प्रपत्र में आवेदन देने हेतु विभागीय वेबसाईट पर एक अलग **Link** उपलब्ध होगा।
- पूर्व में निबंधित व्यवसायी (**JVAT, JHLT, JENT, JED** तथा **JAT**) नये पोर्टल पर **'Sign in'** कर **JCAF** तथा **JCCF** में क्रमशः निबंधन प्रमाण–पत्र में संशोधन तथा रद्दीकरण हेतु आवेदन दे सकते हैं।
- **दिनांक 14.01.2015** तक व्यवसायियों द्वारा वैट निबंधन हेतु विहित प्रपत्र **JVAT 101** में दिए गए आवेदन तथा निबंधित वैट व्यवसायियों द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र में संशोधन हेतु विहित प्रपत्र **JVAT 110** में दिए गए आवेदनों को पूर्ववत् निष्पादित किया जाएगा।

उक्त आवेदनों को भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर विभागीय हेल्प डेस्क तथा प्रमण्डलीय स्तर पर प्रतिनियुक्त प्रशिक्षक की सहायता ली जा सकती है।

HELP DESK दूरभाष संख्या –

- ☎ 0651-6066005 / 0651-2446102 (सुबह 10:00 से संख्या 6:00 बजे तक)
- ☎ 0651-6999975 / 0651-6999976 (सुबह 10:00 से संख्या 8:00 बजे तक)
- ✆ 7762837076 एवं 7762837078 (संध्या 8:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक)

प्रमण्डलीय स्तर पर प्रतिनियुक्त प्रशिक्षक –

प्रमण्डल का नाम	प्रशिक्षक का नाम	मोबाईल संख्या
राँची प्रमण्डल।	रोहित कुमार	9308659114
जमशेदपुर प्रमण्डल।	उत्सव कुमार	8877111599
धनबाद प्रमण्डल।	जितेन्द्र कुमार	8538906759
हजारीबाग प्रमण्डल।	अनिश कुमार	8252311636
संथाल परगना प्रमण्डल।	अमित कुमार	9572040017

वाणिज्य–कर विभाग
झारखण्ड सरकार

SUPPORTING DOCUMENT

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य--कर विभाग

पत्र संख्या- सचिका संख्या--वाकर/कम्प्यू/विविध/09/2015-4759(अनु०)राँची, दिनांक --11/12/15

प्रेषक,

निधि खरे
सचिव--सह--आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य--कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य--कर अंचल प्रभारी।

विषयः-- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा--74 तथा झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 32, नियम 3(3)(e) एवं नियम 4(3)(e) के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर के अधीन निबंधन की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः-- विभागीय परिपत्र संख्या-- 4354 दिनांक 14.11.2012 एवं परिपत्र संख्या-- 2499 दिनांक 13.07.2015

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्र के कम में सूचित करना है कि वाणिज्य--कर विभाग के निबंधित व्यवसायियो को सरल तथा त्वरित प्रकिया से झारखण्ड वृतियों, व्यापारो, आजीविकाओ एवं रोजगारो पर कर अधिनियम, 2011 तथा सुसंगत नियमावली, 2012 के अधीन निबंधन प्रमाण--पत्र देने हेतु एक सरलतम प्रक्रिया विहित करने का अनुरोध व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा है। सम्प्रति विभाग द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड वृतियों, व्यापारो, आजीविकाओ एवं रोजगारों पर कर अधिनियम 2011 (परिपत्र में पेशा कर अधिनियम के नाम से उल्लिखित) तथा झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारो पर कर नियमावली, 2012 (परिपत्र में पेशा कर नियमावली के नाम से उल्लिखित) के प्रावधान जटिल तथा समय साध्य है जिसके सरलीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

सम्प्रति विभाग द्वारा राजस्व हित में झारखण्ड वृतियो, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 33, नियम 3(3)(e),

तथा नियम 4(3)(e) के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त अधिकार के आलोक में आयुक्त द्वारा झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं एवं रोजगारों पर कर नियमावली, 2012 के नियम 3(3)(e), नियम 4(3)(e) तथा नियम 32 के प्रावधानों के अधीन निबंधन प्रदान करने की प्रकिया निम्नवत् विहित की जाती है :--

1. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 तथा झारखण्ड होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 2011 के अधीन निबंधित व्यवसायियों को, झारखण्ड पेशा कर अधिनियम के प्रख्यापन की तिथि 30 जनवरी, 2012 से 31 अगस्त, 2015 तक की अवधि हेतु विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः पेशा कर के अधीन निबंधन प्रमाण--पत्र निर्गत होगा। उक्त निबंधन प्रमाण पत्र (JPT 102) में व्यवसायी को मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अधीन निर्गत 11 अंकों का **Taxpayer's Identification Number (TIN)** अंकित होगा बशर्ते ऐसे व्यवसायियों का वार्षिक सकल आवर्त 5 लाख से अधिक हो तथा वे झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची I में अंकित कर मुक्त वस्तुओं को व्यवसाय नही करते हों।
2. पेशा कर अधिनियम के साथ संलग्न सूची के कमांक--5, 6, 7, 12 एवं 18 में अंकित सभी व्यवसायी यथा-- **Brokers, Contractors** झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनिमय के अधीन निबंधित व्यवसायी, **Residential Hotel, Lodging Houses** के मालिक तथा **Companies Act, 1956** के अधीन निबंधित सभी कम्पनी इत्यादि उक्त श्रेणी में सम्मिलित होंगे।
3. 31 अगस्त, 2015 के उपरांत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निबंधन लेने वाले व्यवसायियों को साथ--साथ पेशा कर अधिनियम के अधीन भी निबंधन प्रमाण पत्र तथा TIN प्राप्त होंगे।
4. पेशा कर अधिनियम तथा नियमावली के अधीन ससमय निबंधन नही लेने, विवरणी दाखिल नही करने तथा कर भुगतान नही करने के लिए एकमुश्त वार्षिक 500/-- रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।
5. पेशा कर अधिनियम के अधीन समाहितकरण योजना प्रारंभ की जाती है।
    - पेशा कर अधिनियम में निर्धारित अधिकतम वार्षिक कर राशि 2500/-- रूपये का भुगतान अर्थदण्ड सहित करने के उपरांत कर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नही होगी। उनके मामलों को **Deemed Assessment** की श्रेणी में रखा जाएगा।

* व्यवसायी अपनी इच्छानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि यथा दो से पाँच वर्ष की अवधि तक का कर भुगतान कर सकेंगे।

6. कर समाहित योजना में सम्मिलित नही होने वाले व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत अप्रैल माह के 25 तारीख तक वार्षिक विवरणी दाखिल करना आवश्यक होगा।

ऐसे व्यवसायियों को प्रतिवर्ष पेशा कर अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 25 दिसम्बर तक वार्षिक कर का भुगतान करना होगा।

7. पेशा कर नियमवली के अधीन विहित प्रपत्रों से अलग सरलीकृत निम्न प्रपत्र विहित किए जाते हैं :—

* निबंधन आवेदन पत्र JPT 101A
* निबंधन प्रमाण पत्र JPT 102A
* वार्षिक कर विवरणी का विहित प्रपत्र JPT 203A

इसके अतिरिक्त समय—समय पर e-governance के उद्देश्य से यथाआवश्यक संशोधन / परिवर्तन करने हेतु मार्गदर्शन निर्गत किये जा सकेंगे।

विश्वासभाजन

11/12/15

(निधि खरे)

सचिव—सह—आयुक्त।